**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. 37**

**उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018**

**हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का संवर्धन**

**\*37. डा॰ संजय सिंहः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के संविधन के अनुच्छेद 351 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और प्रचार के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत दिए गए संवैधनिक दिशा-निर्देश के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किए गए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इस दिशा में क्या प्रगति की है;

(ग) उस निदेशालय में निदेशक का पद कितने समय से रिक्त है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त पद को भरे जाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘‘हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का संवर्धन’’ के संबंध में श्री डा॰ संजय सिंह द्वारा दिनांक 13.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 37 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

(क) और (ख): सरकार निम्‍नलिखित संगठनों द्वारा किए जा रहे विभिन्‍न कार्यकलापों/कार्यक्रमों के माध्‍यम से हिन्‍दी को बढ़ावा दे रही है और इसका प्रसार कर रही है:

केंद्रीय हिन्‍दी निदेशालय (सीएचडी)- यह संगठन अब तक शब्‍दकोष (3 एक भाषा कोष, 3 बहु भाषा कोष, 18 द्विभाषी कोष, 15 त्रिभाषा कोष, 19 विदेशी भाषा शब्‍दकोष) तैयार कर चुका है, पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्‍यम से गैर हिन्‍दी भाषी राज्‍यों के लोगों को हिन्‍दी शिक्षण की सुविधाएं उपलब्‍ध कराता है (अब तक लाभान्‍वित छात्र 5,16,000), डीवीडी/सीडी के रूप में 100 अनुपूरक शिक्षा सामग्री तैयार की गयी जिसका प्रसारण ज्ञान दर्शन चैनल पर किया जाता है और आधे घंटे की 100 डाक्‍यूमेंटरी हिन्‍दी भाषावाणी नामक यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड की गई हैं, स्‍वैच्‍छिक हिन्‍दी संगठनों को वित्‍तीय सहायता देने की योजना चलाता है (लगभग 210 स्‍वैच्‍छिक संगठन प्रत्‍येक वर्ष लाभान्‍वित होते हैं), हिन्‍दी पुस्‍तकों और पत्रिाकाओं का नि:शुल्‍क वितरण (प्रति वर्ष लगभग 5000 पुस्‍तकें) करता है। केंद्रीय हिन्‍दी निदेशालय के सभी प्रकाशन इसकी वेबसाइट [www.chdpublication.mhrd.gov.in](http://www.chdpublication.mhrd.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने गैर हिन्‍दी भाषी प्रख्‍यात लेखकों के लिए पुरस्‍कार भी शुरू किए हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सभी 22 अधिसूचित भाषाओं में प्रत्‍येक वर्ष ऐसे 19 पुरस्‍कार दिए जाते हैं।

केंद्रीय हिन्‍दी संस्‍थान (केएचएस)- केंद्रीय हिन्‍दी संस्‍थान विभिन्‍न स्‍तरों पर हिन्‍दी शिक्षण के मानकों में सुधार करने, हिन्‍दी भाषा और साहित्‍य के उन्‍नत अध्‍ययन विशेषकर गैर हिन्‍दी राज्‍यों, पूर्वोत्‍तर राज्‍यों और आदीवासी क्षेत्रों में अवसर उपलब्‍ध कराने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय हिन्‍दी संस्‍थान भाषा प्रौद्योगिकी के नवाचार और विकास के लिए भी कार्य करता है। यह संस्‍थान विदेशी भाषा के रूप में हिन्‍दी की पाठ्यपुस्‍तकें भी तैयार करता है। पिछले 5 वर्षों में संस्‍थान द्वारा आयोजित विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के अधीन लगभग 2074 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में कुल 143 पुस्‍तकों/पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया है। केंद्रीय हिन्‍दी संस्‍थान हिन्‍दी और अन्‍य भारतीय भाषाओं की लर्नर द्विभाषी शब्‍दकोषों की एक श्रंखला तैयार कर रहा है। यह संस्‍थान पूर्वोत्‍तर और भारत के अन्‍य राज्‍यों की आदिवासी भाषाओं से संबंधित द्विभाषी शब्‍दकोष (अब तक कुल 30) भी तैयार कर रहा है।

केंद्रीय हिन्‍दी संस्‍थान विदेशों में हिंदी प्रचार योजना और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष के पाठ्यक्रम आयोजित करता है जैसे हिंदी भाषा प्रवीणता प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा प्रवीणता डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा उन्‍नत डिप्‍लोमा और स्‍नातकोत्‍तर हिंदी डिप्‍लोमा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्‍येक वर्ष लगभग 135-150 विदेशी छात्र नामांकित किए जाते हैं।

केंद्रीय हिंदी संस्‍थान उपरोक्‍त कार्य आगरा स्‍थित अपने मुख्‍यालय और दिल्‍ली, हैदराबाद,गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्‍वर और अहमदाबाद स्‍थित अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्‍यम से संपन्‍न करता है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्‍दावली आयोग हिंदी में और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्‍दों को परिभाषित करता है तथा शब्‍द-संग्रह, एनसाइक्‍लोपीडिया आदि प्रकाशित करता है।

सरकार ने अंर्तराष्‍ट्रीय स्‍तर पर हिंदी को बढ़ावा देने और इसमें अनुसंधान करने के लिए वर्धा (महाराष्‍ट्र) में महात्‍मा गांधी अंतर्राष्‍ट्रीय हिन्‍दी विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना भी की है।

इसके अतिरिक्‍त, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने 52 विश्‍वविद्यालयों में हिन्‍दी विभाग की स्‍थापना और यूजीसी से अनुदान प्राप्‍त करने वाले 27 विश्‍वविद्यालयों में हिन्‍दी विभाग को उन्‍नत बनाने हेतु अनुमोदन दिया है। 39 केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों में हिन्‍दी प्रकोष्‍ठ स्‍थापित/प्रारंभ किए गए हैं।

जहां तक स्‍कूल शिक्षा का संबंध है, केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 1 से 12 तक हिंदी पढ़ाते हुए और कक्षा 8 तक हिन्‍दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाते हुए हिंदी का संवर्धन करता है। भाषा शिक्षा में छात्रों की विविध आवश्‍कयताओं को पूरा करने के लिए सीबीएसई माध्‍यमिक स्‍तर पर 38 भाषाएं और वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍तर पर 31 भाषाएं प्रदान करता है।

राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) कक्षा 1 से 12 तक हिंदी के पहली, दूसरी और इलेक्‍टिव भाषा के रूप में शिक्षण का संवर्धन करता है और साथ ही हिंदी के शिक्षण और अधिगम के संवर्धन हेतु शोध संचालित करता है, सामग्रियां तैयार करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

जहां तक केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का संबंध है, कक्षा I से V तक के सभी विद्यार्थियों को ‘‘त्रिभाषा सूत्र’’ के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी पढ़ायी जाती है, सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा VI से VIII तक के सभी विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और संस्‍कृत अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाती है। कक्षा VI से आगे क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण हेतु पर्याप्‍त सुविधाएं उपलब्‍ध करायी जाती हैं।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्‍थान (सीआईआईएल) मैसूर अपनी विभिन्‍न पहलों/योजनाओं जैसे कि विभिन्‍न भाषा शिक्षण सामग्रियों के प्रकाशन, विभिन्‍न योजनाओं/ परियोजनाओं जिनमें राष्‍ट्रीय अनुवाद मिशन, राष्‍ट्रीय परीक्षण सेवाएं, भारतीय भाषाओं के लिए भाषायी डाटा कंसोर्टियम इत्‍यादि शामिल हैं, के माध्‍यम से अनुसूचित भाषाओं में शोध और विषय-वस्‍तु तैयार करने के माध्‍यम से हिंदी से अन्‍य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास तथा लेखकों, प्रकाशकों और संवर्धन हेतु कार्यरत अन्‍य स्‍वयंसेवी संगठनों तथा क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करता है। सीआईआईएल देश के विभिन्‍न भागों में अपने सात क्षेत्रीय केंद्रों के माध्‍यम से शिक्षकों को विभिन्‍न भाषाओं में प्रशिक्षित भी करता है। भारतवाणी पोर्टल ने अब तक 1571 भाषा अधिगम पुस्‍तकें (भाषा कोष), 2008 ज्ञान पुस्‍तकें (जननकोष), 672 मल्‍टीमीडिया फाईलें (बहुमाध्‍यम कोष) और 904 पाठ्य पुस्‍तकें (पाठ्यपुस्‍तक कोष) प्रकाशित किए हैं। सीआईआईएल जनजातीय भाषाशब्‍द कोष (कोष) के प्रकाशन के लिए भी कार्य करता है जिसमें इसने पहले ही अन्‍यों के साथ-साथ तंगखुल, कोनयक, मिश्‍मी, अंगमी, अपतानी, जनजातीय भाषाओं में 12 जनजातीय भाषा शबदकोषों का प्रकाशन किया है।

इसके अतिरिक्‍त देश में क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु यूजीसी ने केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों में लुप्‍त प्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्‍थापना की एक योजना तैयार की है। एक केंद्रीय विश्‍वविद्यालय नामत: मौलाना आजाद राष्‍ट्रीय उर्दू विश्‍वविद्यालय, हैदराबाद की विशेषकर देश में उर्दू शिक्षा के सवंर्धन, विकास और शोध हेतु स्‍थापना की गई है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने तकनीकी हिंदी पुस्‍तकों की पांडुलिपि और क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पुस्‍तकों के प्रकाशन की योजना के नाम से एक योजना भी आरंभ की है। तकनीकी हिंदी पुस्‍तकों की पांडुलिपि की योजना के तहत विभिन्‍न लेखकों से कुल 29 पांडुलिपियां और 6 पुस्‍तकें प्राप्‍त हुई हैं।

(ग): निदेशक, सीएचडी का पद 1.05.2007 से रिक्‍त है।

(घ): पद 1.05.2007 से रिक्‍त होने पर वर्ष 2008 में इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के परामर्श से भरने के प्रयास किए गए थे। तथापि, यूपीएससी ने यह सलाह दी कि भर्ती नियम (आरआर) पुराने हैं और इसलिए इन्‍हें पुन: अधिसूचित किया जाना चाहिए। तद्नुसार वर्ष 2009 में भर्ती नियमों को पुन: अधिसूचित किया गया और साथ ही यूपीएससी से वर्ष 2010 में पदों को भरने के लिए भर्ती की पद्धति में एकबारगी छूट देने का अनुरोध किया गया। यूपीएससी ने इस पर सहमति व्‍यक्‍त की और साक्षात्‍कार आयोजित किए गए। तथापि, किसी भी व्‍यक्‍ति को निदेशक, सीएचडी के रूप में नियुक्‍त किए जाने का पात्र नहीं पाया गया। इसके पश्‍चात् सरकार ने नए भर्ती नियम उदार बनाने का निर्णय लिया और अंतत: संशोधित भर्ती नियम अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। इन सभी वर्षों के दौरान निदेशक, सीएचडी का प्रभार समकक्ष

भाषा संस्‍थाओं के अन्‍य अधिकारियों को सौंपा गया है।

\*\*\*\*\*\*